Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 53-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 30, 2018 (CHAITRA 9, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मार्च, 2018

संख्या 42/एसटी–2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

(2) इन नियमों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 45 में, उपनियम (1) में, अंत में आने वाले "जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकता है:

परंतु प्रधान द्वारा जारी चालान को उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से दूसरे को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है:

परंतु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 129 में, उपनियम (6) में, "स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 133 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट रक्षोपाय महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की जाती है कि धारा 171 या इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में आगे अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रक्षोपाय महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार आगे अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 134 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"134. विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाना.—(1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी।

(2) यदि किसी बिंदु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न–भिन्न है, तो उस बिंदु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 138घ के पश्चात्, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी तथा प्रथम अप्रैल, 2018 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्:–

"व्याख्या— इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया', 'रेलवे द्वारा मालों का परिवहन किया जाना', 'रेल द्वारा मालों का परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है ।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 30th March, 2018

No. 42/ST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter called the said rules), in rule 45, in sub-rule (1), after the words, "where such goods are sent directly to a job worker", occurring at the end, the following words and signs shall be inserted, namely:-

"and where the goods are sent from one job worker to another job worker, the challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker:

Provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal:

Provided further that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal.".

3. In the said rules, in rule 127, in clause (iv), for the word, "tenth", the words, "tenth day" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 129, in sub-rule (6), for the words, "as allowed by the Standing Committee", the words, "as may be allowed by the Authority" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 133, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4) If the report of the Director General of Safeguards referred to in sub-rule (6) of rule 129 recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions of section 171 or these rules, but the Authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to the Director General of Safeguards to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of the Act and these rules.".

6. In the said rules, for rule 134, the following rule shall be substituted, namely:-

"**134. Decision to be taken by the majority**.- (1) A minimum of three members of the Authority shall constitute quorum at its meetings.

(2) If the Members of the Authority differ in their opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairman shall have the second or casting vote.".

7. In the said rules, after rule 138D, the following *Explanation* shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st April, 2018, namely:-

"***Explanation***.— For the purposes of this Chapter, the expressions 'transported by railways', 'transportation of goods by railways', 'transport of goods by rail' and 'movement of goods by rail' does not include cases where leasing of parcel space by Railways takes place.".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

56152—C.S.—H.G.P., Chd.